कार्यालय आवासीय अभियन्ता, पी.एच.ई. -द्वितीय,
राजस्थान आवासन मण्डल, 5/एच/5, इंदिरा गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक 135 | दिनांक : 11/6/15

निविदा सूचना संख्या : 01/2015-2016

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर (राज.) की ओर से निम्नलिखित कार्यो के लिए मण्डल में नियमानुसार उचित श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से अधोहस्ताक्षरकर्त्ता द्वारा सीलबन्द निविदायें, जो निम्न आकार के कार्यो का अनुभव रखते हों से आमन्त्रित की जाती हैं। निविदायें निम्न कार्यक्रमानुसार खण्ड कार्यालय में खोली जायेगी। मण्डल के अतिरिक्त विभिन्न विभागों में 'अ' अथवा 'अअ' श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों को निविदा आवंटन के लिए कार्यानुभव संबंधित रिपोर्ट जिस विभाग में उन्होंने कार्य सम्पादित किया हो, से प्राप्त कर प्रस्तुत करनी होगी। कार्य रिपोर्ट उचित पाये जाने पर ठेकेदारों द्वारा दो प्रतिशत एवं मण्डल में पंजीकृत ठेकेदारों से निर्धारित आधा प्रतिशत धरोहर राशि जमा कराने पर ही उन्हें निविदा प्रपत्र जारी किये जायेंगे। निविदा प्रपत्र दिनांक 22.06.2015 से 06.07.2015 अपरान्ह 6:00 बजे तक बेची जाकर दिनांक 07.07.2015 को अपरान्ह 3:00 बजे तक प्राप्त की जावेगी तथा इसी दिन कार्यालय में अपरान्ह 3:30 बजे खोली जावेगी।

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित राशि (लाखों में)	निविदा शुल्क रूपये में	ठेकेदार द्वारा देय धरोहर राशि रूपये में	कार्य की अवधि
1.	राजस्थान आवासन मण्डल की आवासीय कॉलोनी खान भौंकरी रोड दौसा की जलयोजना के संचालन एवं संधारण का कार्य।	5.60	500.00	11200.00	12 माह
2.	राजस्थान आवासन मण्डल की आवासीय कॉलोनी कोटपूतली की जलयोजना के संचालन एवं संधारण का कार्य।	5.00	500.00	10000.00	12 माह
3.	राजस्थान आवासन मण्डल की आवासीय कॉलोनी एलआईजी 160 फ्लेट्स सेक्टर-04 एवं 825 आवास अरावली विहार फेज-तृतीय भिवाड़ी की जलयोजना के संचालन एवं संधारण का कार्य।	5.10	500.00	10200.00	12 माह
4.	राजस्थान आवासन मण्डल की आवासीय कॉलोनी भिवाड़ी की सीवरेज योजना के संचालन एवं संधारण का कार्य।	16.00	1000.00	32000.00	12 माह

नोट :

(1) धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट आवासीय अभियन्ता, खण्ड- पी.एच.ई-द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर के पक्ष में देय होगी।

(2) धरोहर राशि मण्डल में योग्यता श्रेणी अनुसार पंजीकृत ठेकेदारों द्वारा अमानत राशि की आधा प्रतिशत एवं अन्य ठेकेदारों पर दो प्रतिशत देय होगी।

(3) निविदा आवेदन पत्र के साथ पंजीकरण की छायाप्रति, वाणिज्य कर प्रमाण पत्र सर्विस टैक्स, पंजीकृत की छायाप्रति संलग्न करना होगा। सर्विस टैक्स अधिनियम प्रावधानों के अनुसार दायित्व ठेकेदारों को वहन करना होगा।

(4) राजस्थान आवासन मण्डल में भविष्य निधि एक्ट लागू है. जिसका समस्त दायित्व ठेकेदारों को वहन करना होगा।

(5) राजस्थान आवासन मण्डल को एक या सभी निविदाएं रद्द करने का अधिकार होगा।

(6) निविदाएं सशर्त स्वीकार नहीं होंगी।

(7) यदि निविदा प्रपत्र बेचने एवं प्राप्त कर खोलने की अन्तिम तिथि को किसी कारणवश राजकीय अवकाश घोषित है तो उक्त तिथियों इनके अग्रिम कार्य दिवस की दिनांक को होगी।

(8) निविदा प्रपत्र उन्हीं संवेदकों को जारी किये जायेंगे जिन्हें वर्णित कार्य का समुचित अनुभव हो तथा अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति निविदा के साथ संलग्न करनी होगी।

(8) अन्य शर्त निविदा प्रपत्र के अनुसार होगी।

आवासीय अभियन्ता
खण्ड पी.एच.ई. द्वितीय,
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर